



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10032026-270794
CG-DL-E-10032026-270794

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1147]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 9, 2026/ फाल्गुन 18, 1947

No. 1147]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 9, 2026/ PHALGUNA 18, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(एसईजेड अनुभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 फरवरी, 2026

का.आ. 1199(अ).—यतः, मै. आरजीए इन्फ्रास्ट्रक्चर ने कर्नाटक राज्य में नंबर 31/1 चिक्कनकन्नैली गांव, वरथुर होबली, बैंगलोर पूर्वी तालुक, बैंगलोर में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक आर्थिक जोन की स्थापना हेतु विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28), (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत प्रस्ताव किया था;

और यतः, केन्द्र सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियम 2006 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त विशेष आर्थिक क्षेत्र में नीचे दी गई तालिका में उल्लेखित क्षेत्रों को अधिसूचित/ अनधिसूचित किया था: -

क्र. सं.	अधिसूचना सं.	अधिसूचना दिनांक	अधिसूचित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	परिणामी क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(i)	का.आ.387(अ)	09.02.2017	1.59	1.59
(ii)	का.आ.6030(अ)	28.11.2018	1.18	2.77

और यतः, मै. आरजीए इन्फ्रास्ट्रक्चर ने अब उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन में से 1.18 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने का प्रस्ताव किया है;

और, यतः, कर्नाटक सरकार ने पत्र संख्या सीआई 170 एसपीआई 2018 दिनांक 10 अक्टूबर, 2025 के तहत प्रस्ताव को अपनी मंजूरी दे दी है। अनधिसूचना के बाद, भूमि पार्सल का उपयोग आईटी अवसंरचना (गैर-एसईजेड) के निर्माण के लिए किया जाएगा, जो मूल रूप से परिकल्पित एसईजेड के उद्देश्य को पूरा करेगा और ऐसा विमुद्रीकृत क्षेत्र संबंधित राज्य सरकार के भूमि उपयोग दिशानिर्देशों/मास्टर प्लान की पुष्टि करेगा;

और, यतः, विकास आयुक्त, कोचीन विशेष आर्थिक जोन ने 1.18 हेक्टेयर के क्षेत्र को अनधिसूचित करने के प्रस्ताव की सिफारिश की है;

और, यतः, केंद्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) और अन्य संबंधित आवश्यकताओं को पूरा कर लिया गया है;

अतः अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) के दूसरे परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में केन्द्र सरकार एतद्वारा 1.18 हेक्टेयर के क्षेत्र को उपरोक्त विशेष आर्थिक जोन से अनधिसूचित करती है, जिसके परिमाणतः एसईजेड का कुल क्षेत्रफल 1.59 हेक्टेयर हो जाएगा। अनधिसूचना के लिए निम्नलिखित तालिका में उल्लेखित सर्वे नंबर और क्षेत्र शामिल है, अर्थात्:-

अनधिसूचित क्षेत्र हेतु तालिका

क्र. सं.	गाँव का नाम	सर्वे नंबर	कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1.	चिक्कनकन्नेली	31/1	1.18
कुल			1.18
उपयुक्त घटाव के पश्चात् एसईजेड का कुल क्षेत्रफल			1.59

[फा. सं. एफ.1/30/2016-एसईजेड]

विमल आनंद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(SEZ Division)

NOTIFICATION

New Delhi, the 26th February, 2026

S.O. 1199(E).—Whereas, M/s. RGA Infrastructure, had proposed under section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act) to set up a Special Economic Zone for IT/ITES SEZ at Sy. No. 31/1 Chikkankannelli Village, Varthur Hobli, Bangalore East Taluk, Bangalore, Karnataka;

And, whereas, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the said Act read with rule 8 of the Special Economic Zones Rules 2006, had notified/de-notified the following areas at above Special Economic Zone as per the details given below in the table: -

S. No.	Notification No.	Notification Date	Notified Area (in hectares)	Resultant Area (in hectares)
(i)	S.O. 387(E)	09.02.2017	1.59	1.59
(ii)	S.O. 6030(E)	28.11.2018	1.18	2.77

AND, WHEREAS, M/s. RGA Infrastructure has now proposed for de-notification of 1.18 hectares from the above Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the State Government of Karnataka has given its approval to the proposal vide letter No.CI 170 SPI 2018 dated 10th October, 2025. Further, after de-notification, the land parcels would be utilized towards creation of IT infrastructure (Non SEZ), which would sub serve the objective of the SEZ as originally envisaged and such de-notified area will confirm to land use guidelines/master plans of the respective State Government;

AND, WHEREAS, the Development Commissioner, Cochin Special Economic Zone has recommended the proposal for de-notification of an area of 1.18 hectares of the above the Special Economic Zone;

AND, WHEREAS, the Central Government is satisfied that the requirements under sub-section (8) of section 3 of the said Act and other related requirements are fulfilled;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by second proviso to sub-section (1) of section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, the Central Government hereby de-notifies an area of 1.18 hectares of the above Special Economic Zone, thereby making the total area of the Special Economic Zone as 1.59 hectares. The survey numbers and area for the de-notification are given below in the table, namely: -

TABLE FOR DE-NOTIFICATION OF AREA

Sl. No.	Name of Village	Survey No.	Total Area (in Hectares)
1.	Chikkankannelli	31/1	1.18
Total			1.18
Grand Total Area of SEZ after above deletion			1.59

[F. No. F.1/30/2016-SEZ]

VIMAL ANAND, Jt. Secy.